

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

द्वारा

प्लॉट क्र. 60अ एवं 60ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र,
तहसील एवं जिला:- बिलासपुर (छ.ग.)

स्थित

इकाई में आधुनिकरण सह विस्तार के तहत 1.25 मि.टन/वर्ष क्षमता की फ्लूडाईज़ बेड
क्लासिफायर टाइप की कोल वॉशरी से 2.0 मि.टन/ वर्ष क्षमता की हेवी मीडिया
साइक्लोन टाइप की कोल वॉशरी की स्थापना

हेतु

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का
कार्यपालक सार

-:: प्रेषित ::-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

नॉर्थ ब्लॉक, पर्यावास भवन, सेक्टर- 19, नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.)

१. प्रस्तावना:

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, 1.25 मि.टन/वर्ष क्षमता वाली फ्लूडाईज़ बेड क्लासिफायर टाइप की एक विद्यमान कोल वॉशरी है जिसका संचालन प्लॉट क्र. 60अ एवं 60ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.) में किया जा रहा है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों हेतु विद्यमान संयंत्र की स्थापना पूर्व में ही की गई जिस हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सी.ई.सी.बी.) द्वारा स्थापना सम्मति पत्र क्र. 775/TS/CECB/2004 रायपुर, दिनांक: 24/05/2004 प्राप्त की गई एवं संयंत्र का संचालन वैध सहमति के साथ किया जा रहा है। अतः विद्यमान संयंत्र हेतु पर्यावरण स्वीकृति लागू नहीं है।

यह कि कंपनी अपने द्वारा अपने विद्यमान संयंत्र 1.25 मि.टन/वर्ष क्षमता की फ्लूडाईज़ बेड क्लासिफायर टाइप की कोल वॉशरी से 2.0 मि.टन/ वर्ष क्षमता की हेवी मीडिया साइक्लॉन टाइप की कोल वॉशरी में आधुनिकीकरण सह विस्तार करने हेतु प्रस्ताव कर रही है।

| क्रमांक | ईकाई | विद्यमान संयंत्र | वर्तमान प्रस्ताव | वर्तमान प्रस्ताव के पश्चात् |
|---------|-----------|--|--|--|
| 1 | कोल वाशरी | 1.25 मि.टन/वर्ष क्षमता की फ्लूडाईज़ बेड क्लासिफायर टाइप की कोल वॉशरी | 2.0 मि.टन/ वर्ष क्षमता की हेवी मीडिया साइक्लॉन टाइप की कोल वॉशरी | 2.0 मि.टन/ वर्ष क्षमता की हेवी मीडिया साइक्लॉन टाइप की कोल वॉशरी |

टिप्पणी: वर्तमान प्रस्ताव में विद्यमान 1.25 मि.टन/वर्ष क्षमता की फ्लूडाईज़ बेड क्लासिफायर टाइप की कोल वॉशरी के निष्कासन एवं विद्यमान संयंत्र परिसर में विद्यमान सुविधाओं का उपयोग करके 2.0 मि.टन/ वर्ष क्षमता की हेवी मीडिया साइक्लॉन टाइप की कोल वॉशरी की स्थापना करना शामिल है।

विद्यमान संयंत्र 11.11 एकड़ भूमि में स्थापित है एवं वर्तमान प्रस्ताव को भी मौजूदा संयंत्र परिसर में ही स्थापित किया जायगा। प्रस्तावित परियोजना विस्तार की अनुमानित लागत रु 1800.00 लाख है।

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक: 14 सितंबर 2006 तथा अनुक्रमित संशोधनों के अनुसार 1.0 मि.टन/ वर्ष क्षमता से ऊपर वाली कोयला धोवनशाला (कोल वॉशरी) को श्रेणी "अ" में वर्गीकृत किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना हेतु माननीय ई.ए.सी. (कोल माईनिंग) द्वारा टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर.) पत्र क्रमांक J-11015/68/2017-IA.II (M) दिनांक: 06 नवम्बर 2017 प्रदान किया गया है। अनुमोदित टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर.) को समाविष्ट करते हुए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट बनाई गई है।

प्रस्तावित कोल वॉशरी द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु नाबेट, क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया प्रमाण पत्र क्र. NABET/ EIA/ 1619/ RA 026 द्वारा अधिकृत मे. पायोनियर इन्वायरो लैबोरेटरिस् एवं कन्सल्टेंट्स प्रा. लि., हैदराबाद, द्वारा प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- ए. प्रस्तावित संयंत्र स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के पर्यावरणीय कारक जैसे जल, वायु, भूमि, ध्वनि, वनस्पति, जीव, एवं सामाजिक स्तर आदि विशिष्ट गुणों का वर्तमान परिदृश्य का वर्णन।
- बी. प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु उत्सर्जन, दूषित जल उत्सर्जन, ठोस अवशिष्ट एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन।
- सी. प्रस्तावित परियोजना से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा हरित पट्टिका विकास को समसहित करते हुये पर्यावरण प्रबंधन के उपाय (ई.एम.पी.)।
- डी. परियोजना उपरांत पर्यावरणीय अनुविक्षण कार्यक्रम।

1.1 कच्चे माल की मात्रा : –

प्रस्तावित परियोजना के लिये लगने वाले कच्चे माल की मात्रा निम्नलिखित है :

| क्र. | कच्चा माल | वार्षिक आवश्यकता | प्रदाय स्रोत |
|------|-------------|------------------|---|
| 1. | कच्चा कोयला | 2.0 मि.टन/वर्ष | कोयले का स्रोत एस.ई.सी.एल., माइंस दिपका, गोवरा, कुसमुण्डा एवं अन्य माइंस हैं। |

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.)

1.2 उत्पादन पद्धति (हैवी मीडिया प्रोसेस) : –

इस इकाई में खदान से प्राप्त कोयले (आर.ओ.एम.) को तोड़कर, छानकर तथा धोकर 34% से कम राखड़ वाला कोयला प्राप्त किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में एक सिक्त प्रकार (वैट टाइप) की कोल वॉशरी का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण शुष्क प्रकार की वाशरी कि अपेक्षा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कम रहेगी। परियोजना में क्लोज्ड लूप सरकुलेशन सिस्टम लगाया जाएगा जिसके कारण दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा तथा शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन सुनिश्चित होगा।

प्रस्तावित परियोजना में आर.ओ.एम. कोल को एक दंतीय रोल क्रशर से तोड़कर पानी एवं हवा के दबाव की मदद से हैवी मीडिया बाथ/ जिग में साफ किया जाएगा। जिसके कारण धुला हुआ कोयला, मिडलिंग्स तथा रिजैक्ट्स प्राप्त होंगे।

1.3 जल कि आवश्यकता : –

प्रस्तावित परियोजना के लिए अनुमानित जल की खपत 400 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसमें कोल वॉशरी में उपयोग होने वाले औद्योगिक कोल वाशरी हेतु मेकअप जल, डस्ट सपपेशन, हरित पट्टिका एवं घरेलु जल की आपूर्ति संलग्न है। प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। श्रेणीवार जल खपत का विवरण निम्न प्रकार है:–

| क्रमांक | विवरण | मात्रा (घन मीटर प्रतिदिन) |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | कोल वाशरी प्रक्रिया | 350 |
| 2. | डस्ट सपपेशन एवं हरित पट्टिका | 40 |
| 3. | घरेलु | 10 |
| | कुल | 400 |

1.4 दूषित जल उत्सर्जन :

प्रस्तावित संयंत्र में क्लोज्ड लूप आधारित जल पद्धती का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। परियोजना से

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.)

दूषित जल के रूप में केवल घरेलु दूषित जल का निस्तारण होगा जिसके उपचार हेतु सैप्टिक टैंक तथा सोक पिट्स का बनाया जाना प्रस्तावित है।

| विवरण | मात्रा |
|-------|----------------------|
| घरेलू | 8.0 घन मीटर प्रतिदिन |
| कुल | 8.0 घन मीटर प्रतिदिन |

1.5 अपशिष्ट जल की विशेषताएँ :

सैनिटरी अपशिष्ट जल की विशेषताएँ (अनुपचारित) निम्नलिखित टेबल में प्रदर्शित है:

| गुण | सांद्रता |
|------------|------------------------|
| पी.एच. | 7.0 – 8.5 |
| बी.ओ.डी. | 200 – 250 मि.ग्रा./ली. |
| सी.ओ.डी. | 300 – 400 मि.ग्रा./ली. |
| टी. डी.एस. | 800 – 900 मि.ग्रा./ली. |

२.० पर्यावरण का विवरण:

प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परवेशीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु एवं समाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

2.1 परिवेशीय वायु गुणवत्ता

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर एक मौसमीय (3 महीने तक) 9 स्टेशनों पर पी.एम_{2.5}, पी.एम₁₀, एस.ओ₂ एवं एन.ओ_x हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया। परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार है:

| क्रमांक | विवरण | सांद्रता |
|---------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. | पी.एम _{2.5} | : 18.4 से 45.4 माइक्रोग्राम/घन मीटर |
| 2. | पी.एम ₁₀ | : 33.9 से 75.6 माइक्रोग्राम/घन मीटर |
| 3. | एस.ओ ₂ | : 7.8 से 24.2 माइक्रोग्राम/घन मीटर |
| 4. | एन.ओ _x | : 8.6 से 23.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर |
| 5. | सी.ओ. | : 535 से 1450 माइक्रोग्राम/घन मीटर |

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.)

2.2 जल गुणवत्ता

8 अलग अलग जगहों पर भू-जल एवं अन्य सतही जल स्रोतों के नमूने लिए गए जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि सभी जगहों पर जल पीने योग्य है; अर्थात् सभी नमूने आई.एस.: 10500 तथा आई.एस.: 2296 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये हैं।

2.3 ध्वनि स्तर

8 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया। जिसका ध्वनि स्तर 43.3 डी.बी.ए. से 66.9 डी.बी.ए. पाया गया है।

3.0 पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वांकलन तथा ब्रेकथाम:

3.1 वायु गुणवत्ता पर प्रभावों का पूर्वांकलन:

प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित गैसेस में मुख्यतः पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.₁₀), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इण्डस्ट्रियल सोर्स कॉम्प्लैक्स मॉडल (आई.एस.सी.एस.टी.-3) का उपयोग भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में किया गया। माइक्रोमैटिरोलॉजिकल डाटा जैसे तापमान, हवा के बहने की गति एवं दिशा एवं अन्य मेट्रियोलॉजिकल पैरामिटर्स भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया।

संगणित परिणामों से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत भूस्तर पर इन कारकों पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 0.35 माइक्रोग्राम/घन मीटर हवा बहने की दिशा में प्रस्तावित स्थल से 500 मीटर पर पाई जावेगी।

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए पी.एम.₁₀ की सांद्रता में अधिकतम 2.11 माइक्रोग्राम/घन मीटर वृद्धि होने की संभावना है।

अतः कोल वाहरी द्वारा एवं वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन के कारण वतावरण में पी.एम.₁₀ की सांद्रता में 0.35 माइक्रोग्राम/घन मीटर, 2.11 माइक्रोग्राम/घन मीटर व 2.46 माइक्रोग्राम/घन मीटर की अधिकतम वृद्धि होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.)

एन.ओ._x में वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 14.4 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

वाहनों द्वारा उत्सर्जित सी.ओ. की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 9.3 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

| विवरण | पी.एम. ₁₀ (~g/m ³) | एस.ओ. ₂ (~g/m ³) | एन.ओ. _x (~g/m ³) | सी.ओ. (~g/m ³) |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| अध्ययन क्षेत्र अधिकतम वास्तविक सांद्रता | 75.6 | 24.2 | 23.5 | 1450 |
| प्रस्तावित परियोजना के कारण सांद्रता में अधिकतम वृद्धि | 2.46 (0.35+2.11) | ... | 14.4 | 9.3 |
| संयंत्र के संचालन के दौरान शुद्ध परिणामस्वरूप सांद्रता | 78.06 | 24.2 | 37.9 | 1459.3 |
| राष्ट्रीय परवेशीय वायु गुणवत्ता मानक | 100 | 80 | 80 | 2000 |

जैसा कि संगणित परिणाम तथा प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत उत्सर्जित पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.₁₀), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ऑक्साईड्स ऑफ नाइट्रोजन की अधिकतम सांद्रता राष्ट्रीय परवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है अतः प्रस्तावित परियोजना से वायु गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.2 ध्वनि स्तर पर प्रभाव:—

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रशर इत्यादि होंगे। परवेशीय ध्वनि स्तर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कि अधिसूचना दि: 14.02.2000, ध्वनी प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के मानदण्डों के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी.बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 4.6 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रभाव न्यूनतम रहेगा।

3.3 जल पर्यावरण पर प्रभाव:—

प्रस्तावित परियोजना में क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम का परिपालन किया जावेगा जिससे भविष्य में स्थापित होने वाली कोल वॉशरी द्वारा औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। घरेलू निस्त्राव का उपचार उप-सतही फैलाव वाले ट्रेंच के बाद सैप्टिक टैंक में किया जावेगा। प्रस्तावित संयंत्र की जल आवश्यकता हेतु जल का आहरण छत्तीसगढ़ स्टेट

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.)

इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा जायगा। अतः इससे परियोजना से क्षेत्र के जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा।

3.4 भू-पर्यावरण पर प्रभाव:-

प्रस्तावित परियोजना में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि की सही-सही स्थापना एवं संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जावेगा। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल में लगभग 3.7 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। अतः प्रस्तावित परियोजना से भू-पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.5 सामाजिक- आर्थिक प्रभाव:-

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं संचालन से स्थानीय लागो को रोजगार अनेक अवसर बनेंगे। जिसके कारण सामाजिक-आर्थिक स्थित पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही गाँवों में नियमित स्वास्थ्य जाँच प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित संयंत्र के लगने से भविष्य में क्षेत्र का विकास होगा।

४.0 पर्यावरण अनुवीक्षण कार्यक्रम:

परियोजना-उपरांत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन प्रस्तवति है, जो कि निम्न प्रकार है:

| क्रमांक | विवरण | अनुवीक्षण आवृत्ति | नमूने लेने कि अवधि | पैरामीटर |
|---------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | जल तथा निस्त्रव कि गुणवत्ता | | | |
| A | जल गुणवत्ता | मासिक | ग्रॅब नमूने | आई एस : 10500 |
| 2 | वायु गुणवत्ता | | | |
| A | स्टैक निगरानी | मासिक | | पी.एम. |
| B | परवेशीय वायु गुणवत्ता | सप्ताह में दो बार | 24 घण्टे लगातार | पी.एम.10, पी.एम.2.5, एस.ओ2, एन.ओ. ग |

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:- बिलासपुर (छ.ग.)

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------|--|--------------------|
| C | फ्यूजिटिव उत्सर्जन निगरानी | मासिक | 8 घण्टे में एकबार | पी.एम. |
| 3. शोर मापन | | | | |
| A | ध्वनी स्तर | मासिक | 1 घण्टे के अंतराल में 24 घण्टे लगातार | परिवेशी ध्वनी स्तर |

५.0 अतिरिक्त अध्ययन:

चूँकि प्रस्तावित परियोजना की स्थापना केवल भी विद्यमान परिसर में किया जाना है तो परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार का पुर्नवास अथवा पुर्नस्थापन नहीं होगा, अतः पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना अध्ययन नहीं किया गया है।

६.0 परियोजना के लाभ:

प्रस्तावित परियोजना के कारण नए रोजगार के अवसर बनेंगे, साथ ही स्थानीय परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ेगा जिसके कारण आसपास के निवासियों को लाभ होगा। प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जावेगी।

७.0 पर्यावरण प्रबंधन के उपाय:

7.1 वायु पर्यावरण:

वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जाना प्रस्तावित है।

| क्रमांक | इकाई | वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर | पी.एम. उत्सर्जन |
|---------|-----------|--|----------------------------|
| 1. | कोल क्रशर | बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन सिसटम | 50 मिलिग्राम/ घन मी. से कम |

डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्रोत कोयले की अनलोडिंग, क्रशिंग एवं स्थानांतरण बिंदू होंगे। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्रोत कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदू एवं स्क्रीनिंग क्षेत्र इत्यादि होंगे। कोयले की अनलोडिंग के कारण फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु डस्ट सप्रेसन सिसटम लगाया जाना प्रस्तावित है। कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदुओं को पूर्णतः ढका जाना तथा इन सभी निर्वहन बिंदुओं को बैग फिल्टर युक्त डी-डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र क्षेत्र में होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का मापन कार्य किया जावेगा तथा फ्यूजिटिव

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.)

डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम एवं मापन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन किया जावेगा।

7.2 जल पर्यावरण:

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम का परिपालन किया जावेगा जिससे कुछ भी औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित कोल वॉशरी से 8.0 घन मीटर प्रति दिन घरेलू निस्त्राव के रूप में दूषित जल उत्सर्जन होगा। जिसके उपचार हेतु हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट्स बनाए जावेंगे। प्रस्तावित कोल वॉशरी में शून्य बहिस्त्राव कि संकल्पना का परिपालन किया जावेगा।

7.3 ध्वनि पर्यावरण :

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रशर इत्यादि होंगे। सभी उपकरणों का निर्माण केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्वनि उत्सर्जन हेतु मानदण्डों के अनुरूप किया जावेगा। तदंतर सघन वृक्षारोपण ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में प्रभावकारी होगा। प्रशासनिक भवन के आसपास ध्वनि अवरोधो के रूप में वृक्षारोपण कि अनुशंसा की जाती है।

7.4 भू पर्यावरण :

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम का परिपालन किया जावेगा जिससे कुछ भी औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही-सही स्थापना एवं संचालन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जाने का प्रस्ताव है। वॉशरी मिडलिंग एवं रिजैक्ट्स को विद्युत उत्पादन इकाईयों को दिया जाना प्रस्तावित है। इकाई में सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समुचित सौंदर्यकरण एवं लैंडस्केपिंग पद्धति को अपनाया जावेगा। अतः प्रस्तावित संयंत्र से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड

प्लॉट क्र. ६०अ एवं ६०ब, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केन्द्र, तहसील एवं जिला:— बिलासपुर (छ.ग.)

ठोस अपशिष्टों का उत्पादन एवं अपवहन व्यवस्था :

| क्र. | ठोस अपशिष्टों का प्रकार | मात्रा | अपवहन व्यवस्था |
|------|-------------------------------|-----------------|---|
| 1. | वाँशरी रिजैक्ट्स एवं मिड्लिंग | 0.40 मि.टन/वर्ष | विद्युत उत्पादन इकाईयों मुख्यतः (1) अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, (2) नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड) (3) आरस्मेटा सीमेंट प्लांट, (4) सोनाडीह सीमेंट (5) जोजोबेरा सीमेंट प्लांट को दिया जावेगा। |

7.5 ग्रीन बेल्ट :

प्रस्तावित परिसर में लगभग 3.7 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित पूँजी लागत रू 1.0 करोड़ है।

7.6 क्रैप सिफारिशों का कार्यान्वयन :

प्रस्तावित कोल वाँशरी में क्रैप सिफारिशों का सख्ती से क्रियान्वयन प्रस्तावित है।
